न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/ 38/18	30–04–2018	19–06–2018

1. महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड ,सादना हाउस, द्वितीय फ्लोर, 570, पी.बी. मार्ग, वर्ली मुम्बई, आफिस पता– महिन्द्रा टॉवर्स, पी.के.कुर्ने चौक, वर्ली मुम्बई। शाखा कार्यालय पता–46,47 श्रीनाथ टॉवर ,प्रथम तल ,वैशाली नगर, जयपुर।

प्रार्थी

VERSUS

1. ओमप्रकाश शर्मा पुत्र हरिराम शर्मा, जाति ब्राहमण ,निवासी–07, बागडा राजपूत मौहल्ला, ग्राम राजपुरा जागीर,आईडिया टॉवर के पास, तहसील थानागाजी जिला अलवर।

2. श्रीमती मंजू देवी पत्नि श्री ओमप्रकाश शर्मा जाति ब्राहमण ,निवासी–07, बागडा राजपूत मौहल्ला, ग्राम राजपुरा जागीर,आईडिया टॉवर के पास, तहसील थानागाजी जिला अलवर।

3. श्री हरिराम शर्मा पुत्र श्री गणपत शर्मा जाति ब्राहमण ,निवासी–07, बागडा राजपूत मौहल्ला, ग्राम राजपुरा जागीर,आईडिया टॉवर के पास, तहसील थानागाजी जिला अलवर।

4. श्री राकेश शर्मा पुत्र श्री बंशीधर शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी–975, बालकों की ढाणी, धर्मकांटा के पास तहसील थानागाजी जिला अलवर ।

अप्रार्थी/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

––:: निर्णय ::––

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर **श्री ओम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री हरिराम शर्मा की संपत्ति भूखण्ड पट्टा संख्या–01, बुक संख्या –70 क्षेत्रफल 147.58 वर्गगज स्थित ग्राम राजपुरा जागीर ग्राम पंचायत द्वारापुर, पंचायत समिति थानागाजी, तहसील थानागाजी जिला अलवर में स्थित** है को रहन रखा गया था। अप्रार्थीगण द्वारा तयशुदा शर्तो के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नही किया।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नोन परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति, का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नही है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तो पर दिए जाते हैं :-

1-रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।

2.-आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र पर दिये जा रहे है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार थानागाजी को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहने रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **19-06-2018** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर